कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकट्ठा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

वाद संख्या :......08....... / 2020–21

लेख्य प्रकार–विविध वाद

30.09.2020 अभिलेख का संधारण आवेदक रविशंकर प्रताप के द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर किया गया। आवेदक ने अपने आवेदन ने इस बात का उल्लेख किया गया है कि ललितेश्वर पाण्डेय पिता सुखदेव पाण्डेय के द्वारा मेरे पिता राजेन्द्र कुमार पाण्डेय के नाम से खरिदगी भूमि मौजा–बेलकपी, खाता सं0–13, प्लॉट सं0–189, रकबा–0.27$\frac{1}{2}$ ए0 पर मकान का निर्माण किया जा रहा है। आवेदक द्वारा आवेदन के आलोक में मेरे द्वारा कार्यालय पत्रांक–423, दिनांक–01.10.2020 के माध्यम से ललितेश्वर पाण्डेय के द्वारा किया जा रहे निर्माण कार्य पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निदेश दिया गया था। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के माध्यक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। तत्पश्चात अभिलेख उपस्थापित करें।

30/09/2020

अंचल अधिकारी
बरकट्ठा

17.11.20 अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा–बेलकपी के खाता नं0–13, प्लॉट नं0–189, रकबा–0.27$\frac{1}{2}$ ए0 जिसको लेकर विवाद है। जिस पर मात्र 0.01 ए0 पर द्वितीय पक्ष ललितेश्वर पाण्डेय पिता स्व0 सुखदेव पाण्डेय के द्वारा भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जिसपर द्वितीय पक्ष का दखल वर्षों से है तथा प्रथम पक्ष का प्रश्नगत भूखण्ड पर कभी भी दखल नहीं रहा है, प्रथम पक्ष के पिता राजेन्द्र कुमार पाण्डेय को केवाला सं0 12838 दिनांक 18.04.74 के माध्यम से भूमि प्राप्त है। संलग्न रसीद के अनुसार मौलूम–3, पेज नं0–309 दर्ज है। मौलुम–3 हल्का मुख्यालय में नहीं होने के कारण जमाबंदी की विवरणी देना संभव नहीं है। हल्का कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में द्वितीय पक्ष के दखल की अवधि 50 वर्षों की दर्शायी है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्षकार आपस में सगे चाचा–भतिजा है। द्वितीय पक्ष का ललितेश्वर

Scanned by CamScanner

पाण्डेय ने एकरारनामा की छायाप्रति जिसमें राजेन्द्र कुमार मोदी (क्रेता) एवं दिलीप कुमार पाण्डेय के बिच पारिवारिक बंटवारा को लेकर है। अंचल निरीक्षक ने भी हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के इस बिन्दू पर कि 50 वर्षों से अधिक समय से द्वितीय पक्ष का बेदखल करना न्यायोचित नहीं होगा। प्रथम पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों से इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि द्वितीय पक्ष ललितेश्वर पाण्डेय लगभग 50 वर्षों से दखलकार है उन्हें बेदखल किया जाना गैरे क्षेत्राधिकार में नहीं है साथ ही प्रथम पक्ष जिनके पिता राजेन्द्र पाण्डेय का नाम खरिदगी है के स्वत्व का निर्धारण भी किया जाना अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रथम पक्ष चाहे तो सक्ष्म न्यायालय की शरण ले सकते हैं। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति थाना प्रभारी, गोरहर को भेजें।

अंचल अधिकारी
बरकट्ठा

Scanned by CamScanner